न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2018

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
केशाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी समदड़ी हाल पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर 2. लिखमाराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी राईकों का गोलिया तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 61 दिनांक 12.07.1999 जो अप्रार्थी सं. 2 लिखमाराम के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेमाराम सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 27/08/2019

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 61 दिनांक 12.07.1999 जारी किया गया। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना किये बिना जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आलौच्य पट्टा अधीन भूखण्ड के वास्तविक तथ्यों, स्वामित्व एवं पुराने कब्जे को छुपाकर अपने नाम पट्टा जारी करवाया है जबकि विवादित भूखण्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पैतृक स्वामित्व का है जिस पर दोनों सगे भाइयों का समान हक अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 2 का पैतृक एवं पुश्तैनी मकान समदड़ी गांव की मुख्य आबादी में स्थित है जिस पर उसका कब्जा एवं रहवास है। इस तथ्य को छिपाकर प्रार्थी के स्वामित्व एवं रहवासीय कब्जे के विवादित भूखण्ड को हड़पने की नियत से गलत तथ्य वर्णित कर आलोच्य पट्टा जारी करवाया है जो निरस्त योग्य है।

3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 21.02.2002 को प्रार्थी को किरायेदार बताते हुए विवादित परिसर का कब्जा प्राप्त करने हेतु एक सिविल वाद संख्या 3/2002 सिविल न्यायालय सिवाणा में पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थी का कब्जा स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 17.12.2005 के द्वारा वाद खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने अपर जिला न्यायाधीश बालोतरा के समक्ष अपील संख्या 5/2011 प्रस्तुत की उसे भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.09.2017 द्वारा खारिज करते हुए प्रार्थी के कब्जे को स्वीकार किया गया। आलौच्य पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही की आदेशिकाओं में कांटछांट की गयी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की कोई पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में नियम 141 से 150 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 की पालना नहीं होने से आलौच्य पट्टा खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 61 दिनांक 12.07.1999 पूर्णतया विधि सम्मत है जो पंचायत नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत समदड़ी की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 को आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमे अप्रार्थी सं. 2 के वास्तविक कब्जे अनुसार निर्धारित दर अनुसार शुल्क वसूल कर उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड का फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम पंचायत से षड़यंत्र कर दिनांक 25.02.2014 को अपने पक्ष में पट्टा जारी करवाया जिसका ज्ञान अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसकी माता गवरी देवी को होने पर एक निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 42/2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 19.07.2017 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 387 दिनांक 25.02.2014 निरस्त किया गया। इससे प्रथम दृष्ट्या स्थापित है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के आधिपत्य के भूखण्ड को हडप करने की नियत से यह निगरानी प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा संख्या 61 दिनांक 17.02.1999 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा पूर्व में पंचायत निगरानी संख्या 17/2003 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.2005 के द्वारा निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत समदड़ी को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया है कि वादग्रस्त भूखण्ड के स्वामित्व के बारे में जांच करें तथा मौका निरीक्षण कर दोनों पक्षों को ग्राम पंचायत की आम बैठक में सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत साक्ष्य व सबूत के आधार पर वादग्रस्त भूखण्ड के पट्टे का निर्धारण पंचायतीराज अधिनियम के तहत बने नियमों के अंतर्गत करावें। इस

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रकार प्रार्थी द्वारा पुनः आलौच्य पट्टे के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम समदड़ी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 61 दिनांक 12.07.1999 जारी किया गया। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट किया हैं कि इसी पट्टा सं. 61 दिनांक 12.07.1999 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा पूर्व मे भी निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 17/2003 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर निर्णय दिनांक 27.06.2005 पारित कर आलौच्य पट्टा को खारिज कर प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया गया हैं कि विवादित भूखण्ड के कब्जे एवं स्वामित्व के बाबत पुनः जांच कर नियमानुसार पट्टा की कार्यवाही करें। इस तथ्य का प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्र मे कोई उल्लेख नहीं किया है। आलौच्य पट्टा सं. 61 को जब इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे ही जरिये निगरानी निर्णय दिनांक 27.06.2005 द्वारा खारिज कर दिया गया था तो पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नही है। इस प्रकार यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर